

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक- 1006 / 1सी0 (वन)

सेवा में,

दिनांक 19/06/2021

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी  
उत्तराखण्ड देहरादून।

द्वारा- उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर

विषय:- मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक सं0 2736 /FP/UK/ROAD/38601/2019 दिनांक 6.5.2021, प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 09.06.2021, इस कार्यालय का पत्रांक सं0- 817/1सी0 वन दिनांक 28.5.2021 एवं मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, 06 कर्णप्रयाग विधानसभा उत्तराखण्ड का पत्रांक सं0 558/विधायक/2021 दिनांक 16.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के अनुपालन में अवगत कराना है कि देवल से धानई तक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 817/1सी0 वन दिनांक 28.5.2021 द्वारा पूर्व में ही मोटर मार्ग की महत्ता को बिन्दुवार अंकित करते हुये स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था। मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, 06 कर्णप्रयाग विधानसभा उत्तराखण्ड द्वारा भी अपने पत्र के माध्यम से मोटर मार्ग की महत्ता को अंकित करते हुये स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ग्रामीणों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामवासियों को सामाजिक रूप से मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु सम्यक रूप से विचार करते हुये स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न- मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, 06 कर्णप्रयाग विधानसभा उत्तराखण्ड का

पत्रांक सं0 558/विधायक/2021 दिनांक 16.06.2021 की छायाप्रति।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

पत्रांक / 1सी0 वन तददिनांक

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृप्या अपने स्तर से भी उपरोक्त को पत्र लिखने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर



पत्रांक : 558/विभागिक/2021

दिनांक : 16/06/21

पगुन तेन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, डालिवा नगर फारेस्ट कानोनी  
उत्तराखण्ड, देहरादून !

विषय : जनपद चमोली में राजा योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में  
देवल से धानई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.94 हे० वन भूमि का और वानिकी  
आयोग से लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ! (Online No. FPI/UK/2020/38601/2019)

जनपद चमोली से भेरे विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत भा० नु० सो० सं०-  
1471/2015 राजा योजना के अन्तर्गत देवल से धानई तक मोटर मार्ग लम्बाई 3 किमी०  
की स्वीकृति उत्तराखण्ड आसन द्वारा वर्ष 2016 में प्रदान की गयी है। अर्थात् वन भूमि  
पड़ती है। जिसके प्रस्ताव पेंकेज संख्या FPI/UK/2020/38601/2019 से लोक निर्माण विभाग  
जोचर द्वारा हस्तान्तरण किये जाते हैं। क्षेत्र की जनता द्वारा अवगत कराया गया है कि  
वन भूमि प्रस्तावों में वन विभाग द्वारा रिजर्व फारेस्ट में आपत्ति की जा रही है।  
तथा मोटरमार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण में बहुत विलम्ब हो गया है। ग्राम धानई  
एक राजस्व ग्राम है। जिसकी लाकादी 190 है। यह ग्राम सुदूर पहाड़ी पर स्थित है।  
तथा इसकी आधिकारिक लाकादी मोटर मार्ग से सम्बन्धित नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में  
गांवों की वसतह पहाड़ी छान पर होती है। ग्राम धानई कर्णप्रयाग-नौरी-पैठानी मोटर  
मार्ग से लगभग 1 किमी० खड़ी एवं ऊँचाई पर स्थित है।

क्षेत्र के विकास हेतु सड़क मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।  
जिसे सरकार की प्राथमिकता के अनुसार पलायन को भी रोकना है।

ग्राम धानई को जोड़ने हेतु ग्रामीण लोक निर्माण जोचर द्वारा तय संरक्षण के अन्वा  
न्य संरक्षण पर सहमत नहीं है। तथा मोटर मार्ग की लम्बाई भी अधिक लामेगी।  
जिसे मार्ग निर्माण में अधिक वन भूमि प्रभावित होगी एवं वागत भी अधिक लामेगी।  
लोक निर्माण विभाग जोचर द्वारा अर्जित प्रस्ताव पर ही क्षेत्र की जनता को सुविधा एवं  
जनहित है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त कले हेतु आवश्यक कार्यवाही कर  
कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत करने का कष्ट करें।

(सुरेन्द्र सिंह नेगी)

सुरेन्द्र सिंह नेगी

विधायक

06-कर्णप्रयाग, विधानसभा  
उत्तराखण्ड

(सुरेन्द्र सिंह नेगी)

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी-चमोली।

2. नाबिशाही कार्ययत्ता निर्माण एवं लोक निर्माण विभाग जोचर।